राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज., जयपुर

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज.

क्रमांकः एफ 1(131)संस्थापन / अ.स.मा.वि. / क.स. भर्ती / 2020 / 5628 दिनांकः 10/09/2021

—: नियुक्ति आदेश :—

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर के पत्र पं.1(2)प्र.सु. / अनु.3 / 2020 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम 2020) के अधीन चयनित खिलाडियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को आवंटित कर गृह जिले में नियुक्ति हेतु अधिकृत करने पर राजस्थान सेवा नियमों एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 में निहित प्रावधानों के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में कार्मिक विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं दो वर्ष परीवीक्षाधीन सेवा संतोषप्रद पूर्ण करने पर पे–मेट्रिक्स लेवल–5 में निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाता है :—

विवरण						आवंटित जिला	पदस्थापन हेतु कार्यालय का नाम
अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	शैक्षणिक योग्यता	गृह जिला		
मोहम्मद शोएब खान	मोहम्मद अयूब	25.08.2001	सामान्य	12वीं	जयपुर	जयपुर	निदेशालय,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर ।
सरफराज वारसी	मोहम्मद एजाज	04.07.1988	सामान्य	बी.काम	जयपुर	जयपुर	निदेशालय,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर ।

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर–अन्दर कार्यभार ग्रहण करें। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें कि वे कब तक कार्यभार ग्रहण करेंगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान क्रीडा पद विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम 2020) के नियम 3(6) के अन्तर्गत चयनित खिलाडियों को संबंधित पद के लिए 05 वर्ष की कालावधि में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ताऐं–कम्प्यूटर योग्यता (RS-CIT) एवं कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें। Fixed Remuneration पर कार्य करने की अपनी सहमति पदस्थापन कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें।
5. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही वेतन निर्धारण एवं नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
7. परिवीक्षाकाल अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

9. उक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
10. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य रहेगी। लेकिन इनकी वरिष्ठता का निर्धारण क्रीडा पद विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम 2020) के नियम 3(6) के अंतर्गत किया जायेगा।
11. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये जाने गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ–साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र व पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगें एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6 (5) वित्त/नियम /99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
14. उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10.9.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1(131)संस्थापन/ अ.स.मा.वि./क.स. भर्ती/2020/ 5629-640 दिनांकः 10/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग को पत्र कमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.3/2020 दिनांक 13.07.2021 के क्रम में।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
8. संबंधित अभ्यर्थी मो० इमरान शोएब खान, सरफराज कालोनी, जयपुर
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

10.9.2021

(डॉ०महमूद अली खान)
अतिरिक्त निदेशक